यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्र0न0 72/2023

1. छिन्द्र कौर पत्नी छविन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजविन्द्र कौर पत्नी हरजीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुखविन्द्र कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2)को0ए0–1955

उपस्थिति:–अनिल सिड़ाना अधिवक्ता प्रार्थी

राजपैरोकार टिब्बी अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 25/2/24

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक नम्बर 10 सी.डी.आर. बी. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 97/07 प0न0 217/257 (21) कि०न० 25 तादादी 0.253 है0, प0न0 217/258 (33) कि0न0 3/1 तादादी 0.228 है० कि0न0 3/2 तादादी 0.025 है० कि०न० 4/1 तादादी 0.228 है० कि०न० 4/2 तादादी 0.025 है0 कि0न0 7, 8, 13 प्रत्येक सालम कुल तादादी 1.518 है० व चक नम्बर झंनत 10 सी.डी. आर. बी. जमाबंदी सम्वत् 2075 –78 खाता संख्या– 104/8 प०न० 217/258 (33) कि0न0 14/1 तादादी 0.252 है0 कि0न0 14/2 तादादी 0.001 है० कि०न० 17/1 तादादी 0.240 है० कि0न0 17/2 तादादी 0.013 है० कि०न० 24/1 तादादी 0.240 है० कि०न० 24/2 तादादी 0.013 है०, कुल तादादी 0.759 है0 नहरी मय गै०मु० खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है । सत्यप्रति जमाबंदीया जो प्रार्थनापत्र का आधार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि सरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह व स्वर्णजीत कौर पत्नी सरजीत सिंह से खरीद की है पूर्व मे उपरोक्त कृषि भूमि रतिराम पुत्र रेखाराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड थी जिसकी प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 10 सी. डी. आर. बी. जमाबंदी सम्वत् 2055–58 खाता संख्या– 26/28 संलग्न प्रार्थनापत्र है जिसमे प०न० 217/258 (33) कि0न0 14,17,24 मे गै०मु० रास्ता स्वीकृत नही था रतिराम ने उपरोक्त कृषि भूमि अपने पुत्रो आशाराम व पृथ्वीराज को बांटकर दे दी। आशाराम को प0न0 217/257 (21) कि०न० 25 तादादी 0.253 है0 व प०न० 217/258 (33) कि0न0 3, 4, 7, 8, 13/1.265 है0 कुल तादादी 1. 518 है0 व पृथ्वीराज को 217/258 (33) कि0न0 14, 17, 24/0.759 है0 कुल तादादी 0.759 है0 कृषि भूमि प्राप्त हुई । आशाराम ने अपनी कृषि भूमि के आवागमन के लिए प0न0 217/258 (33) कि०न० 14/2 तादादी 001 है० व कि०न० 17/2 तादादी 013 है0 व कि०न० 24/2 तादादी 0.013 है0 गै०मु० रास्ता स्वीकृत करवाया। कालान्तर मे उपरोक्त कृषि भूमि सरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह व स्वर्णजीत कौर पत्नी सरजीत सिंह अकवाम कम्बोजसिख निवासी सुरेवाला ने खरीद की जिनसे उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण ने खरीद की है। प्रार्थीगण को प०न० 217/258 (33) कि०न० 14/2 तादादी 001 है० व कि०न० 17/2 तादादी .013 है0 व कि०न० 24/2 तादादी 0.013 है० गै०मु० रास्ता की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है इसलिए प्रार्थीगण को प०न० 217/258 (33) कि०न० 14/2 तादादी 001 है० व कि0न0 17/2 तादादी .013 है0 व कि०न० 24/2 तादादी 0.013 है० गै०मु० रास्ता की कोई आवश्यकता नही है। यह रास्ता अर्साकदीम से बंद चला आ रहा है यह रास्ता आशाराम द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु दर्ज करवाया गया था आशाराम द्वारा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

उपरोक्त कृषि भूमि का विक्रय सरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह व स्वर्णजीत कौर पत्नी सरजीत
सिंह अकवाम कम्बोजसिख निवासी सुरेवाला को किया गया व सरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह व
स्वर्णजीत कौर पत्नी सरजीत सिंह अकवाम कम्बोजसिख निवासी सुरेवाला ने उपरोक्त कृषि भूमि
का विक्रय प्रार्थीगण को किया है। प्रार्थीगण को समस्त कृषि भूमि क्रय कर लिये जाने के कारण
व प्रार्थीगण के एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त रास्ता की कोई आवश्यकता नही
है राजस्व रेकार्ड मे उक्त रास्ता दर्ज रहने से प्रार्थीगण को अत्यधिक मानसिक वेदना व अपूर्णीय
क्षति हो रही है । प्रार्थीगण लघु काश्तकार है चक नम्बर 10 सी. डी. आर. बी. जमाबंदी सम्वत्
2075 ता 78 खाता संख्या–104/8 प०न० 217/258 (33) कि०न0 14/2 तादादी .001 है० व
कि०न0 17/2 तादादी 013 है० व कि०न० 24/2 तादादी 0.013 है० गै०मु० रास्ता चालू कर
दिया गया तो प्रार्थीगण की काश्त योग्य कृषि भूमि कम हो जावेगी जिससे प्रार्थीगण को अपनी
खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग से बिना किसी कारण के वंचित होना पडेगा उपरोक्त
रास्ता की किसी भी काश्तकार अथवा नागरिक द्वारा मांग नही की गई है प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण
माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण न्यायशुल्क पर अन्दरमियाद
प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नम्बर 10 सी.डी. आर.
बी. जमावंदी सम्वत् 2075 – 78 खाता संख्या– 104/8 प0न0 217/258 (33) कि0न0 14/2
तादादी 0.001 है० व कि०न० 17/2 तादादी 0.013 है0 व कि०न० 24/2 तादादी 0.013 है०
गै०मु० रास्ता को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज किए जाने का आदेश
फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तहसीलदार राजस्व टिब्बी के पत्रांक क्रमांक राजस्व/2025/342 दिनांक 16.02.2026 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, मुताबिक रिपोर्ट चक 10 सीडीआर के प0न0 217/257 मु0 21 किला न0 25 व प0न0 217/258 मु0 33 किला न0 3,4,7,8,13,14,17,24 खाता स0, 104/08 छिन्द्र कौर बगैर के नाम खातेदारी दर्ज है प्रार्थीगण प0न0 217/258 मु0 33 किला न0 14/2/.001, 17/2/.013, 24/2/.013 गै0मु0 रास्ता स्वीकृतशुद्धा जो मौके पर बंद है फसल काश्त है जो निरस्त करवाना चाहता है उक्त स्वीकृतशुद्धा रास्ते को निरस्त किये जाने से अन्य कोई अडोसी पडोसी काश्तकार प्रभावित नही हो रहा है व न ही कोई राजकीय हित प्रभावित हो रहा है प0न0 217/258 मु0 33 किला न0 14,17,24 के नजदीकी किलान0 23 व 18 लवदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकोर्ड है लवदीप सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह के इस आशय का सहमति पत्र प्रस्तुत किया है कि यदि किला न0 14,17,24 में स्वीकृतशुद्धा गै0मु0 रास्ता को निरस्त किया जाता है तो उन्हे किसी भी प्रकार का ऐतराज नही है। तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया पत्रावली सलंग्न तहसीलदार रिपोर्ट मय
नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया, हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा ही अनवान
आशाराम बनाम पृथ्वीराज दिनांक 18.01.2009 द्वारा उपरोक्त वर्णित रास्ता स्वीकृत किया गया
है चूंकि वर्तमान में उपरोक्त स्वीकृत रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है परन्तु किसी भी सार्वजनिक
प्रयोजनार्थ उपयोग में नही लिया जा रहा है ना ही आस पडौस के काश्तकारो को उक्त रास्ता
की आवश्यकता है। पडोसी काश्तकारो द्वारा पत्रावली में सहमति पत्र भी प्रस्तुत किया गया है,
अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 8(2) को0ए0 1955 स्वीकार किया
जाकर चक न0 10 सीडीआर बी के खाता स0 104/8 में प0न0 217/258 मु0न0 33 के किला
न0 14/2 में .001 है गै0मु0 रास्ता व किला न0 17/2/0.013 है0 व किला न0 24/2/0.
013 है0 गै0मु0 रास्ता को निरस्त किया जाकर उक्त रकबे को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में
समायोजित किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी
सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन करे।

([illegible] R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
[illegible] कलक्टर टिब्बी।